दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 56* ❑ *अंक-14* ❑ *दिल्ली* ❑ *अप्रैल, 2018 (द्वितीय)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

दलितों के क्रान्तिसूर्य बाबा साहब डा. अम्बेडकर

● डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर के जीवन का सार उनके इन तीन मूलमंत्रों में छिपा है–(1) शिक्षित बनो (2) संगठित होवो और (3) संघर्ष करो। उनका पूरा दर्शन इन तीन उद्‌बोधनों में समाया हुआ है। उनका यह दर्शन भगवान बुद्ध, गुरु रविदास और महात्मा ज्योतीबा फुले के जीवन दर्शन का निचोड़ है।

भगवान बुद्ध ने कहा था–'अत्तो दीपो भव–यानी अपने दीपक स्वयं बनो। व्यक्ति 'दीपक' कब बन सकता है? जब उसमें रोशनी हो। रोशनी कब हो सकती है? जब वह शिक्षित हो, विद्वान हो, विवेकशील हो। विद्या की रोशनी होगी तो वह खुद तो दीप्तिवान होगा ही, अपनी विद्वता से वह दूसरों को भी रोशन कर सकेगा।

महात्मा ज्योतीबा फुले ने भी शिक्षा पर जोर देते हुए कहा था–

विद्या बिन गई मति,
मति बिन गई नीति,
नीति बिन गई गति,
गति बिन गया वित्त।
विद्या बिन चरमराये शूद्र,
एक अविद्या ने किये
कितने अनर्थ।।

इसलिए शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए उन्होंने पाठशालायें स्थापित कीं और अपनी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले को प्रथम शिक्षिका के रूप में लगाया।

संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने सर्वप्रथम दासता के खिलाफ शंखनाद करते हुए कहा था–

पराधीन का दीन क्या,
पराधीन बेदीन।
रविदास दास पराधीन का,
करे ना कोई यकीन।।

गुरु रविदास जी ने 'स्वराज्य' को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा था–

रविदास मानस बसन कूं,
उत्तम हैं दुई ठांव।
एक है स्वराज्य मंह,
दूजी मरघट गांव।।

यही नहीं, उन्होंने 'स्वराज्य' कैसा हो, उसके लोकतांत्रिक रूप का खुलासा उन्होंने अपनी सुविख्यात साखी 'बेगमपुरा' में किया है।

अपने उस लोकतांत्रिक स्वराज्य को पाने और दासता से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए गुरु रविदास जी ने 'संगठन' की ओर संकेत करते हुए कहा–

सत संगति मिलि रहयो
माधो जैसे मधुप मखीरा।

यानी हमें मधुमक्खी की तरह संगठित होकर रहना चाहिए और अपने दुश्मन पर एकजुट होकर धावा बोलना चाहिए।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने उपरोक्त तीनों महापुरुषों को अपना 'गुरु' मानते हुए उनके मिशन को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उसे साकार रूप देकर दलित मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। वे संत, महात्मा और गुरुओं की तरह उपदेश देने या फिर कुरीतियों के बखान करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कुरीतियों को मिटाने के लिए आगे आकर संघर्ष शुरू किया।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने सबसे पहले सबसे बड़ा काम किया दलितों में स्वाभिमान पैदा करने का। इसके लिए सदियों से भाग्य, भगवान, धर्म–कर्म और पाप–पुण्य के चक्कर में पड़े अछूतों को उनके मानवीय अधिकारों का अहसास कराया, और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए संघर्ष का मार्ग दिखलाया। दलितों को संगठित करने के लिए 20 जुलाई, 1924 को उन्होंने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। इसी के माध्यम से 20 मार्च, 1927 को महाड़ में चबदार तालाब अछूतों के लिए खुलवाने हेतु सत्याग्रह शुरू किया और काफी संघर्ष के बाद उसे सार्वजनिक रूप से खुलवाने में वे कामयाब रहें वहां दलितों को समानता का हक मिला। इसी वर्ष 25 दिसम्बर को उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जात–पांत, ऊंच–नीच, भेदभाव की जननी 'मनुस्मृति' की होली जलाई।

अछूतों की सार्वजनिक स्थानों पर जाने में प्रतिबंध क्यों हो? उन्हें भी दूसरे उच्च वर्णों के समान समता व सम्मान क्यों नहीं मिले, जबकि सभी इंसान एक हैं, फिर भेदभाव क्यों? अछूतों को समता के अधिकार दिलाने के लिए ही उन्होंने 2 मार्च, 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आन्दोलन छेड़ा। सवर्णों और अछूतों के संघर्ष में बाबा साहब को भी लाठियां खानी पड़ीं और लहूलुहान होना पड़ा। बाबा साहब डा. अम्बेडकर के इस आन्दोलन से मन्दिर के द्वार

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

दलित एकता को सलाम

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने महाड़ के तालाब के पानी पर दलितों का अधिकार दिलाने के लिए और नासिक के कालाराम मन्दिर में दलितों के प्रवेश के अधिकार दिलाने के लिए जन आन्दोलन किए थे और काफी दिनों चले दलित संघर्ष के बाद दलितों को उनके अधिकार दिलाये थे। उसके काफी वर्षों बाद ऐसा ही दलित एकता की मिसाल 2 अप्रैल को देखने को मिली जब देश के सभी दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट में दखल देकर उसको कमजोर बनाने के विरोध में 'भारत बन्द' का आयोजन किया था जो पूर्णतः सफल रहा। हालांकि कुछ गैर सामाजिक तत्वों के कारण तोड़–फोड़ व आगजनी हुई और 12 दलितों की पुलिस भिडंत में मौत भी हुई। उन शहीद हुए 12 दलित युवाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि और सफल भारत बन्द के लिए दलित एकता को सलाम। भारत बन्द की सफलता दलित शक्ति तथा ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक तो है ही, वर्तमान बीजेपी की मोदी सरकार और न्यायपालिका के दोहरे मापदंड के विरुद्ध भी है।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने दलित मुक्ति के लिए तीन मूलमंत्र दिये थे–शिक्षित बनो, संगठित होओ और संघर्ष करो।'' बाबा साहब के इन मूलमंत्रों को दलितों ने न केवल अपने हृदय में बैठाया, बल्कि इन पर अमल करके उनके सपनों को साकार कर दिया है। दलितों को अधिकार दिलाने के लिए जो जन आन्दोलन आयोजित किये, उनका नेतृत्व स्वयं बाबा साहब ने किया, भले ही उन दलित–संघर्ष–में उन्हें सवर्णों व मनुवादियों के साथ टकराव में चोटें खानी पड़ीं और लोहूलुहान होना पड़ा। पर यह 2 अप्रैल का 'भारत बन्द' का दलित–संघर्ष आन्दोलन देश के सभी दलित संगठनों द्वारा आयोजित था जिसका कोई एक नेता नेतृत्व नहीं कर रहा था बल्कि इसमें सामूहिक नेतृत्व था और प्रत्येक दलित संगठन का नेतृत्व उन्हीं के कार्यकर्त्ता कर रहे थे। उनके अन्दर रोष था वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ और वर्तमान न्यायपालिका के खिलाफ। इनके विरोध में वो पूरे दमखम और एकजुटता के साथ सड़कों, बाजारों, शहरों–कस्बों में निकल पड़े थे। पुलिस की बर्बरता की परवाह किये बगैर। भारत बन्द का यह दलित आन्दोलन सवेरे से सांझ तक बिना किसी भय–डर के दृढ़ता के साथ चलता रहा। देश के सभी टी.वी. चैनलों पर दलितों के इस 'भारत बन्द' के ही समाचार थे। कहीं वे आन्दोलनकर्त्ताओं द्वारा की जा रही तोड़–फोड़ व आगजनी की खबरें दिखा रहे थे, कहीं पुलिस भिडंत की घटनाओं को दर्शा रहे थे। जबकि दलितों की यह 'भारत बन्द' का कार्यक्रम शान्तिपूर्ण था और बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सहायता के विरोध का यह कार्यक्रम उनके हितों के लिए उनके द्वारा आयोजित था जिसकी घोषणा उन्होंने एस.सी./एस.टी. एक्ट की धाराओं को कमजोर करने के सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च को आये फैसले का विरोधस्वरूप रोष प्रगट करने के लिए की थी।

सच्चाई यह है कि देश का दलित, शोषित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था से पिछले हजारों सालों से त्रस्त है। वर्ण व्यवस्था के जातिवाद मकड़जाल में फंसाकर समाज के सबसे नीचे के पायदान पर धकेले गये शूद्रों यानी दलितों को अधिकार विहिन कर्त्तव्यों के कारण सवर्णों का गुलाम, दास, बन्धक बनकर

(शेष पृष्ठ 4 पर)

डा. अम्बेडकर पुरस्कारों की घोषणा

भन्ते आनन्द कीर्ति को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार

भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने दलितोत्थान, दलित साहित्य एवं दलित कला–संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले डा. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों की भारतरत्न बाबा साहब डा. अम्बेडकर की 127वीं जयन्ती पर घोषणा की है।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर ने बताया कि इस वर्ष 2018 का डा. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार **भन्ते आनन्द कीर्ति** को दिया जायेगा जो कैलानिया यूनीवर्सिटी, कोलम्बो (श्रीलंका) में प्रोफेसर हैं और भगवान बुद्ध के बौद्ध दर्शन का विश्व में प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने भारत–श्रीलंका के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रगाढ़ किया है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने दलित साहित्य, दलित कला–संस्कृति की अभिवृद्धि तथा दलितोत्थान व सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन 10 विशिष्ठ महानुभावों को 'डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार' से सम्मानित करने की घोषणा की है।

दलित साहित्य सेवा हेतु

1. **डा. लालती देवी**
   लखनऊ (उ.प्र.)
2. **श्री राजन लाल जावा 'निर्मोही'**
   जोधपुर (राजस्थान)
3. **श्री सुजीत भौमिक**
   अगरतला (त्रिपुरा)

दलित कला–संस्कृति हेतु

4. **डॉ. अजय कुमार सोनकर**
   मोती वैज्ञानिक
   अंडेमान–निकोबार
5. **श्री अनिल बांसफोर**
   डा. अम्बेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट, धनबाद (झारखण्ड)

दलितोत्थान सेवा हेतु

6. **श्री तीरथ कुमार तोंगडिया**
   मानसा (पंजाब)
7. **श्री सुरेन्द्र कुमार मरमट**
   उज्जैन (मध्य प्रदेश)
8. **श्री पेरूमल राजप्पन**
   कोट्टायम (केरल)
9. **श्री अशोक वी. धेला**
   कच्छ (गुजरात)

सामाजिक न्याय हेतु

10. **एडवोकेट जितेन्द्र 'मनु'**
    वारंगल (तेलंगाना)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सुमनाक्षर ने बताया कि अकादमी के 34वें राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन, नई दिल्ली में उपरोक्त महानुभावों को पुरस्कार में शाल, शील्ड, प्रशस्ति–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

न्यायालयों में सुनिश्चित हो अनुसूचित जातियों का 22 प्रतिशत आरक्षण

डॉ. सुरेन्द्र सेलवाल

बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने सदियों से भारत में शक्ति स्त्रोतों से बहिष्कृत अनुसूचित जाति/जनजातियों को आरक्षण के सहारे सरकारी नौकरियों और राजनीति में हिस्सेदारी दिलाई। वहीं जाति नस्ल, रंग, लिंग, धर्म आदि के कारण शक्ति के स्रोतों से जबरन वंचित लोगों को भारतीय संविधान प्रदत कानूनी शक्ति से उनको बराबर का अधिकार दिलाया था किन्तु क्या भारतीय संविधान के द्वारा चुनी गई सरकारें, कार्यपालिका व न्यायपालिका ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठा का पालन करती रही है? यह यक्ष प्रश्न है?

बाबा साहेब ने 5 फरवरी, 1951 को संसद में 'हिन्दू कोड बिल' पेश किया। इसमें हिन्दू महिलाओं को पुरूषों के बराबर पैतृक सम्पति में अधिकार दिए जाने की बात थी। तत्कालीन सरकार में हिन्दू नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया और बाबा साहब ने इसे अपना अपमान मानते हुए 27 सितम्बर, 1951 को केन्द्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में भी का साहित्य ऐसी वंशावलियों से भरा हुआ हैः जिसमें एक जाति को कुलीन और दूसरी जाति की उत्पति को निकृष्ट साबित करने का प्रयास किया गया है।

यकीनन हम लोग तब तक भारत में एक मुक्त समाज तैयार नहीं कर सकते हैं जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन या उसके साथ बदसलूकी जारी रहती है। इसी बदसलूकी और दुर्भावना को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 को जाति भेदभाव के कारण अमानवीय अत्याचार रोकने के लिए 11 सितम्बर, 1989 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया था जिसे 30 जनवरी 1990 से सारे भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। यह अधिनियम दलितों के विरुद्ध होने वाले क्रूर और अपमानजनक अपराध जैसे उन्हें जबरन, मल–मूत्र इत्यादि खिलाना या उनका सामाजिक बहिष्कार करना को अपराध मानता है इसमें 20 से गया। ब्राह्मणवाद के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। जिसमें भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सभी इंसानों को बराबर मानते हुए बौद्ध विहारो में प्रवेश देकर शिक्षा व दीक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिए। इसमें दास व गुलाम बनाए गए मूल निवासियों को नया जीवन मिला और उन्हें बुद्ध शरण में आकर करुणा, समता और भ्रातृ भाव प्राप्त हुआ। मगर जो शूद्र हिन्दू धर्म में ही पड़े रहे या यूं कहे अपनी वास्तविकता की अपेक्षा अंधविश्वास के शिकार बनकर स्वयं को हिन्दू मानते रहे वो पशुओं से भी बदतर जिन्दगी भगवान की देन समझते रहे और विश्व में ज्ञान के प्रतीक डॉ. अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा दिये गये अनुसूचित जातियों के अधिकारों की बदौलत शिक्षा प्राप्त करके ये नौकरियों व आरक्षित सीटों से चुनाव जीतकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होते गये, किन्तु इनको हिन्दूवादी मानसिकता के अनुसार स्वयं को श्रेष्ठ बताने वाले इन्हें हर अवसर पर हिन्दू धर्म में इनके निचले पायदान का अहसास कराते रहे है।

मामले दर्ज हुए, जबकि 2015 में यह संख्या 38670 थी। वहीं जो मामले किसी डर, दबाव व भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न के डर से जो मामले दबकर रहे गये हैं, वह आंकड़े दर्ज मामलों से कई गुना है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 100 मामलों में 95 मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। गुजरात प्रदेश का ही उदाहरण लें तो 2011 में सजा दर 2.1 प्रतिशत थी। इससे ही समझा जा सकता है कि सरकारें व न्यायालय दलित आदिवासियों के प्रति न्याय दिलाने में कितने गम्भीर हैं जबकि इन संस्थाओं का लोकतन्त्र में न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध होना कितना जरूरी है। यह डॉ. अम्बेडकर का कथन था कि 'न्याय लोकतंत्र की आत्मा है', लेकिन वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र की आत्मा को मार दिया है। वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के चुने हुए प्रतिनिधि भी जो आरक्षित सीटों से चुने हुये हैं। वो एम.एल.ए. , एम.पी.

गिरफ्तारी के भय से लोग कमजोर दलित अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचार करने से दूर रहते थे मगर न्यायालय के नये व्याख्यान से यह डर खत्म हो गया है। निश्चित रूप से आज तक दलित जातियों को उचित न्याय नहीं मिल सका है। इस कानून की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह् लग गया है। जहां दलिल दी गई है कि इस कानून का दुरुपयोग होता है तो क्या माननीय न्यायाधीश इस बात की गारन्टी देंगे कि अब दलितों पर अत्याचार करने वाले दुरुपयोग नहीं करेंगे। यही नहीं क्या माननीय न्यायाधीश व सरकार और दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले यह गारन्टी देंगे कि भारतीय संविधान में दर्ज इस एक्ट के अतिरिक्त अन्य सभी अधिनियमों का दुरुपयोग नहीं होता है। वस्तुतः नहीं, तो फिर दलितों की सुरक्षा के मामले में सरकार और न्यायालय संवेदनशील क्यों नहीं है। इनका प्रतिउत्तर यही है कि मनुवाद से ग्रस्त हिन्दुवादी लोगों ने सरकार और न्यायालयों पर कब्जा कर लिया

सरकार महिलाओं को बराबरी का दर्जा उनकी सुरक्षा व कानूनी न्याय एवं नौकरियों व राजनीति में आरक्षण की बातें तो करती है, परन्तु वास्तव में क्रिया रूप देने में संकोच ही करती रही हैं।

भारत के संबंध में यह एक विडम्बना ही कही जायेगी कि यहां के बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में ब्राह्मण ही उपलब्ध है। भारत में बुद्धिजीवी वर्ग तथा ब्राह्मण जाति एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए है और यह कि यहां बुद्धिजीवी वर्ग मात्र एक जाति, ब्राह्मण जाति, में सिमट कर रह गया है। इस नाते भारत का यह बुद्धिजीवी वर्ग देश के हितों का संरक्षक बनने की अपेक्षा अपनी जाति विशेष की आकांक्षाओं एवं हितों का संरक्षक बनने में अधिक रुचि रखता आया है। हिन्दुओं को यही सिखाया जाता रहा है कि ब्राह्मण 'भूदेव' (पृथ्वी का देवता) है। ब्राह्मण ही उनके गुरू होने योग्य है। (वर्णानाम् ब्राह्मणों गुरू) और अन्य उसका अनुसरण करेगें। ऐसा ही होता भी रहा है।

हिन्दू अक्सर कुछ लोगों या व्यक्तियों के किसी खास गुट की पृथकता या विशेषता की शिकायत करते है और उन पर असामाजिक भावनाओं का आरोप लगाते हैं। लेकिन वे बड़े सुविधाजनक तरीके से भूल जाते है कि यह असामाजिक भावना उनकी जाति व्यवस्था का सबसे खराब लक्षण है। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध नफरत के गीत गाती है। हिन्दुओं अधिक कृत्य अपराध की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। वास्तव में अछूत के रूप में हिन्दुओं में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का घातक है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया गया था।

वास्तव में दलित (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियां) इस देश के मूल निवासी हैं। सम्पूर्ण भूमि पर इन्हीं के पूर्वजों का राज था। उनका अपना धर्म, अपने देवी, देवता अपने रीति–रिवाज और अपना राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी। खेती–बाड़ी (काश्तकारी) और हस्तकला (दस्तकारी) मुख्य व्यवसाय थे। भवन निर्माण कला और शिल्पकला में उनकी दक्षता थी। शान्ति, सम्पन्नता और वैभवपूर्ण उनका जीवन था। विदेशी आर्यों ने इस नगरीय सभ्यता की प्रशंसा सुनकर धोखे से नष्ट कर दिया। कालांतर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अन्तर्गत हजारों साल तक दमन की चक्की में पिसकर ये दास यह भी भूल गए कि कभी वे ही इस देश के मूल निवासी थे। वर्ण–व्यवस्था को न्यायसंगत साबित करने के लिए और मूल निवासियों को दास बनाकर उनको शिक्षा, सत्ता, सम्पदा के मानवीय अधिकारों से वंचित करने के निर्णय को विधि सम्मत बताने के लिए आर्यों ने 'मनुस्मृति' की रचना की, जिसमें शूद्र अनार्य, दास आदि के लिए और कठोरतम दण्ड विधान शामिल किया

वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद सरकार मं षडयन्त्रकारियों की बहुलता के चलते पशुओं पर अत्याचारों को लेकर सरकारें सख्त कानून बना रही है, परन्तु दलितों पर हजारों सालों से हो रहे अत्याचारों को लेकर ये सरकारें गंभीर नहीं है। उल्टा उनकी सुरक्षा में बने कानूनों को षड्यंत्रों के तहत कमजोर किया जा रहा है। दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर सरकार द्वारा संचालित न्यायालय भी गम्भीर नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016 में अकेले यू.पी. में हिंसा के कुल 10426 मामले सामने आए हैं। दलित महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में 2015 में 444 मामले वहीं 2016 में 557 की संख्या व रेप के 77 मामले दर्ज हुए। यौन उत्पीड़न के मामले 2015 में 704 वही 2016 में 874 दर्ज किए गए हैं। वही राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2014 में दलितों के खिलाफ 47064 अपराध हुए यानि हर घंटे दलितों के खिलाफ 5 से ज्यादा (503) अपराध हुए। दिन में 2 दलितों की हत्या हुई है और औसतन 6 दलित महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया गया है।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार देश में साल 2016 में दलितों के खिलाफ अत्याचार और अपराध के मामलों में 55 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। साल 2016 में पूरे देश में दलितों पर हुए अत्याचार के कुल 40801 पद और मद के नशे में वर्तमान मोदी सरकार की गोदी में बैठकर स्वार्थों में आकण्ठ डूबे हुए हैं। वहीं सरकार चार–चार बाबाओं को कैबिनेट मंत्री बनाकर क्या संदेश दे रही है? यह चिंतनीय विषय है कि सरकार अंधविश्वास और पाखण्ड को बढ़ावा देकर देश को किस ओर ले जा रहे है? यह समझना होगा।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भाजपा के माध्यम से हिन्दू राष्ट्र बनाने में लगा है। साम्प्रदायिक दंगे करवाकर इस देश की विभिन्नता में एकता को समाप्त किया जा रहा है। सरकारें दलितों के साथ कानूनी धारायें लगाने में पूर्णतः भेदभाव रहित नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के चार जजों का जनता के बीच आकर यह कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। समझ जाना चाहिये कि लोकतंत्र खतरे में है। दलितों से संबंधित कानून को कमजोर करके इनको न्याय की उम्मीद भी मोदी सरकार द्वारा न्यायपालिका के जरिये लगभग समाप्त कर दी गई है। जबकि 16वें लोकसभा चुनाव में दलितों के बड़े वर्ग (लगभग 57 प्रतिशत मत दलितों) के समर्थन से ही भाजपा गठबंधन सत्तारूढ़ हो सका है।

प्रश्न यह है कि क्या सचमुच दलितों द्वारा इस कानून का दुरुप्रयोग किया गया जाता रहा है? क्या इस एक्ट के नियमों में ढील होने पर दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ने की आशंका निर्मूल है? पहले है, और हिन्दुवाद जो गैर बराबरी को बढ़ावा देता है, सरकार और जज उसके पोषक बन गये हैं।

चुनाव के दौरान दलित समाज के वोट हथियाने के लिए इनकी धार्मिक भावनाओं का अपहरण कर लिया जाता है। और जब हक देने की बातें आती हैं तो दलितों को कमजोर करने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधान पालिका एक हो जाती है। देश में मनुवादी लोग हिन्दुवाद को बढ़ावा देकर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों के लोग जो स्वयं को अम्बेडकरवादी होना गर्व की बात मानते हैं अब मनुवादी या हिन्दूवादियों के साथ ज्यादा दिन खड़े नहीं रह पायेंगे। देश में वाद को लेकर खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। हिन्दूवाद के नारे देकर हमारे समाज की भावनाओं को भुना लिया जाता है। और फिर दलितों का शोषण किया जाता रहा है। अब यह मांग भी जोर पकड़ेगी कि धर्म संबंधी कालम में अम्बेडकरवादी शब्द भी निर्मित किया जाए। इसलिये दलित समस्या और भेदभाव की राजनीति से निपटने के लिये तथा भारतीय संविधान की पवितत्रता की सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए अम्बेडकरवादियों का आक्रोश और विरोध गैर वाजिब नहीं है। उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा व भेदभाव से

(शेष पृष्ठ 3 पर)

पृष्ठ 1 का शेष....दलितों के क्रान्तिसूर्य–बाबा साहब डा. अम्बेडकर

अछूतों के लिए–सदैव के लिए खुल गये, जो पहले उनके लिए बंद थे। अछूतों को उनके समता के अधिकार मिल गये। इससे उनका स्वाभिमान जगा और वे अपने अधिकारों के लिए वे और जागरूक हुए।

दूसरा बड़ा काम बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए किया। इसके लिए उन्होंने दलितों की दुर्दशा की जांच करने इंग्लैंड से आये सायमन कमीशन को 17 मई, 1929 को एक मांगपत्र देकर अछूतों के प्रतिनिधियों के लिए 33 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने की मांग की। इसी मांग को उन्होंने इंग्लैंड के पहले व दूसरे गोलमेज सम्मेलन, 1931 में रखते हुए उन्हें सवर्णों से पृथक मतदान का अधिकार दिए जाने की जोरदार वकालत की। अन्ततः ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा कर दी जिसमें अछूतों को उनकी आबादी के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करने तथा उन्हें दो मतदान करने का अधिकार दिया गया। एक वोट से वे अपने दलित प्रतिनिधि को चुन सकते थे और दूसरे से सवर्ण उम्मीदवार को चुन सकते थे। महात्मा गांधी जी को दलितों को ये दो मतपत्रों का अधिकार दिये जाने पर हिन्दूधर्म व हिन्दू समाज टूटता नजर आया। इसलिए दलितों के कल्याण के लिए घोषित इस 'कम्युनल अवार्ड' के खिलाफ उन्होंने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर पर एक ओर से गांधी जी की जान बचाने के लिए हिन्दू नेताओं का भारी दबाव आने लगा, पर दूसरी ओर से सदियों से राजनीतिक अधिकारों से वंचित अछूतों को उनके अधिकारों का मिलने का सुअवसर का दबाव था। इसी अन्तर्द्वन्द्व के बीच बाबा साहब बुरी तरह फंस गये थे। हिन्दू नेताओं ने इकट्ठे होकर बाबा साहब डा. अम्बेडकर से निवेदन किया कि वे अछूतों को मिले 'कम्युनल अवार्ड' के अधिकारों को लौटा दें, वे दलितों के उत्थान के लिए अन्य अधिाकार देने के लिए तैयार हैं। इसी आधाार पर गांधी जी व बाबा साहब के बीच 24 सितम्बर, 1932 को एक समझौता हुआ, जो 'पूना पैक्ट' के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अन्तर्गत दलितों को उनकी आबादी के अनुसार नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान निर्धारित किया गया। उनके लिए संविधान सभाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किया गया। बाबा साहब के अथक प्रयास से अछूतों का संसद व विधान सभा मं प्रतिनिधित्व होने लगा और वे सरकार संचालन में हिस्सेदारी करने लगे, पर बाबा साहब सत्ता की पूरी बागडोर दलितों के हाथ में देना चाहते, वह उनका सपना पूरा न हो सका। गांधीजी के अनशन ने दलितों के उन मौलिक अधिकारों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद भी बाबा साहब ने दलितों को सरकार व शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दिलाकर 'मनुव्यवस्था' को पलट दिया। आज जो कुछ नासमझ लोग दलितों के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझ होनी चाहिए कि यह 'आरक्षण' 'कम्युनल अवार्ड' के बदले मिला है। दलितों को गांधी जी की जान बचाने और इस देश को टूटने से बचाने के लिए 'गांधी–अम्बेडकर समझौते' के तहत यह 'आरक्षण' मिला है। यह कोई 'भीख' या किसी का 'अहसान' नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। यह देश हमारा है। इसीलिए इसकी हर चीज में हम अपनी संख्याबल के आधार पर हिस्सेदारी चाहते हैं। यही बात बाबा साहब ने इंग्लैंड की गोलमेज सम्मेलन में की थी, जिसे वहां सभी ने सही माना था।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने दलितों के लिए तीसरा सबसे बड़ा काम उनके लिए शिक्षा के द्वार खुलवा कर किया। इससे पहले अछूतों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का निषेध था। बाबा साहब ने अंग्रेजी सरकार से अछूत वर्ग के युवक–युवतियों के लिए स्कूल–कॉलेजों में पढ़ने का प्रावधान तो कराया ही, उनकी उच्च शिक्षा के लिए 'स्कालरशिप' व 'फ्रीशिप' भी लागू कराया। दलितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने 1945 में 'पीपल्स एजूकेशन सोसाइटी' की स्थापना की, जिसके अन्तर्गत मुंबई में सिद्धार्थ कालेज, औरंगाबाद में मिलिन्द कालेज संचालित किये गये। बाबा साहब की प्रेरणा से अन्य स्थानों पर भी स्कूल, कालेज व छात्रावास खोले गये, जहां से शिक्षा प्राप्त करके दलित छात्र सरकार में उच्च पदों पर आसीन हुए। काफी दलित युवा कालेज व विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर व वाइस–चांसलर तक बने। इसी तरह बहुत से दलित युवा शिक्षित होकर संसद व विधान सभाओं के लिए चुने गये और सांसद, विधायक व मंत्री बने। कुछ विदेशी दूतावासों में राजदूत व राज्यों के राज्यपाल बने। शिक्षा क्षेत्र में बाबा साहब डा. अम्बेडकर की यह ऐतिहासिक क्रान्ति थी जिसने दलितों के चहुंमुखी उन्नति के मार्ग खोल दिये। शिक्षा ने दलितों को 'विवेक'

बाबा साहब की दलितों को एक और बड़ी देन 'दलित साहित्य' की है। दलितों के गौरवमयी इतिहास को उजागर करने के लिए उन्होंने 'हू वर दा शूद्राज' (शूद्र–कौन ओर कैसे) ग्रन्थ लिखकर पहल की। इसके अतिरिक्त दर्जनों ग्रन्थ लिखकर जहां ब्राह्मण ग्रन्थों की पोल खोली, वहीं दलितों को अपने उत्थान, कल्याण व विकास के लिए मार्ग दिखाया। वे चाहते थे कि दलित अपना साहित्य व इतिहास लिखें। वे पत्रकार बनें और अपने अधिक समाचारपत्र निकालें। इसी बात की प्रेरणा देने के लिए उन्होंने 31 जनवरी, 1920 को 'मूकनायक' प्रकाशित किया। उसके बाद 3 अप्रैल, 1927 को 'बहिष्कृत भारत', 24 नवम्बर, 1930 को 'जनता' तथा 4 फरवरी, 1956 को 'प्रबुद्ध भारत' का संचालन किया। इन समाचार पत्रों में छपे बाबा साहब के लेख जहां ब्राह्मणवादियों के षड्यंत्र की पोल खोलने वाले हैं, वहीं वे दलितों में चेतना जागृत करके उनके अन्दर स्वाभिमान भरने वाले हैं।

बाबा साहब के साहित्य से प्रभावित होकर देश में दलित साहित्य लेखन की बाढ़ आ गई है और देश की सभी भाषाओं में आज वह उपलब्ध है। बाबा

पृष्ठ 2 का शेष...न्यायालयों में अनुसूचित जातियों का 22% आरक्षण

न्याय और सामाजिक समानता के लिए सड़क से संसद तक लड़ना ही होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को न्यायालय द्वारा कमजोर किये जाने बारे अब कोर्ट व सरकार चाहे जो दलीलें दें। न्यायालय का सम्मान करने वाली दलित जनता सर्वोच्च न्यायालय के इस दोष पूर्ण फैसले के विरुद्ध खड़ी है और खड़ी रहेगी और संघर्ष करेगी। जो दलित भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था में पूर्ण आस्था रखते है। इस निर्णय से पूर्णतः असहमत है। भारत देश के सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता व आम नागरिक एक्ट 1989 को यथावत रखने और भविष्य में इस एक्ट से कोई छेड़छाड़ न हो यह भी सुनिश्चितता चाहेंगे। यही नहीं दलित जातियों को आज तक भी उचित न्याय नहीं मिला है। इसके पीछे सच्चाई यही है कि न्यायालयों में इनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। अतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां अब इस मांग के साथ संघर्ष भी करेगी कि संसद में विधेयक पारित करके माननीय न्यायालयों में इनके 22 प्रतिशत पद न्यायाधीशों के सुनिश्चित करते हुए हर क्षेत्र में इनका आरक्षण सुनिश्चित किया जाये। •

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था–

• गुलाब चन्द बारासा

*** स्वाभिमान** जीवन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है। स्वाभिमान के साथ जीने के लिए कठिनाइयों को हराना पड़ता है। केवल कठिन और अथक संघर्ष से ही शक्ति, दृढ़विश्वास और गौरव प्राप्त होता है।

*** मानसिक विकास** ही मनुष्य के अस्तित्व का अन्तिम उद्देश्य होना चाहिए।

*** एक महान आदमी** एक प्रतिष्ठित आदमी से अलग होता है क्योंकि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है।

*** एक जिम्मेदार व्यक्ति** में अपने सीखे हुए को भूलने की क्षमता और पुनर्विचार करके अपने विचारों में बदलाव करने का साहस होना चाहिए।

*** मनुष्य नश्वर है** वैसे ही विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रसार की ठीक वैसी ही आवश्यकता होती है, जैसे एक पौधे को सिंचाई की जरूरत होती है। अन्यथा दोनों ही कुम्हला कर मर जांएगे।

*** संतान लाभ** होने पर किसी को जितना सुख मिलता है, उतना सुख मुझे अपनी किसी किताब के छपने पर मिलता है।

*** मेरे मरणोपरांत** मेरे विचार या संप्रदाय की संस्था मत बनाइए। जो समाज या संस्था काल और समय के अनुसार अपने विचारों को नहीं बदलती या बदलने को तैयार नहीं होती, वह जीवन के संघर्ष में टिक नहीं सकती।

*** मेरा जीवन** आप सभी लोगों के लिए समर्पित है जिसके एक–एक कण से आप पूर्ण परिचित हैं। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति मेरे जैसा नजर में नहीं आता है, जो सभी के जीवन के लिए एक–एक परत को खोलकर रख दिया हो अर्थात् मेरा जीवन एक खुली किताब के रूप में हैं।

*** एक आदर्श समाज** को गतिशील होना चाहिए, जिसमें यहां वहां होने वाले बदलावों को अपना लेने की क्षमता हो, जहां भिन्न–भिन्न विचारों का खुला आदान–प्रदान हो। मुख्यतः इसमें एक मनुष्य के प्रति आदर और सद्भावना होनी चाहिये।

*** सभी मनुष्य** एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें।

*** एक विद्वान और बुद्धिजीवी** के महान् अंतर है। उनका अलग संसार है। इनमें से पहले में अपने वर्ग की चेतना होती है, और वह अपने वर्ग के हितों के लिए जीता है। दूसरा बुद्धिजीवी इस प्रकार के कार्य करने से मुक्त होता हैं, और उसे वर्ग चेतना प्रभावित नहीं कर पाती।

शक्ति दी, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने 'बेदीन' एवं 'धर्महीन' दलितों को समतावादी, करुणा व भाईचारे से भरपूर बौद्धधर्म दिया, जिसका सम्बन्ध भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से था। आडम्बर, ढोंग, इंसानी भेदभाव और रुढ़िवाद से विरक्त बौद्ध धर्म दलितों के लिए यह कोई नया धर्म नहीं था, यह उनके पूर्वजों का प्राचीन धर्म था जिसे ब्राह्मणवाद ने तहस–नहस करके उसका भारतभूमि से पलायन करा दिया था। बाबा साहब ने उसकी पुनर्स्थापना करके गले–सड़े इंसानी भेदभाव से भरे हिन्दू धर्म से दलितों को मुक्ति दिलवाई। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने विजयादशमी के दिन 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि में हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की स्वयं दीक्षा ली और अपने साथ अपने 5 लाख दलित अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के पश्चात् बौद्ध धर्म का परचम दिनोंदिन सारे भारत में जोर–शोर से फहरा रहा है। बौद्ध धर्म दीक्षा से दलितों का नये सिरे से स्वाभिमान जगा है। यह बाबा साहब की सबसे बड़ी धार्मिक देन है जिन्होंने शाक्यवंशी भगवान बुद्ध से अछूतों का नये सिरे से रिश्ता जोड़ा है।

साहब डा. अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर अब सभी भाषाओं के दलित साहित्यकारों का उभार आया है और वे निडर होकर अपनी–अपनी भाषा में दलित साहित्य का सृजन कर रहे हैं। दलित साहित्य से दलितों में एक वैचारिक क्रान्ति आई है। वे अब अपने अधिकारों और देश की सत्ता व सम्पदा में अपनी बराबर की हिस्सेदारी के विषय में सोचने लगे हैं। उनकी इस सोच ने देश की सत्ता व समाज के समीकरण बदल दिये हैं। आज बाबा साहब डा. अम्बेडकर का नाम प्रत्येक राजनैतिक पार्टी के लिए मजबूरी बन गया है और प्रत्येक उनका नाम लेकर अपनी पार्टी की नाव चुनावों में पार लगाना चाहता है। वैचारिक क्रान्ति से उपजी समझ से दलित हस बात को अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए वे अपने 'वोट' का अब सही इस्तेमाल करके नक्कारा राजनीतिक पार्टियों को पटकनी दे रहे हैं। इसीलिए अब न केन्द्र में और न ही राज्यों में किसी एक पार्टी की सरकारें नहीं बन पा रहीं। आज देश के दलितों में सत्ता की भूख जगी है। वे केन्द्र व राज्यों में अपनी सत्ता चाहते हैं। यह समझ उन्हें दी है दलित साहित्य ने, और दलित साहित्य की प्रेरणास्रोत हैं बाबा साहब डा. अम्बेडकर, जो दलितों के लिए क्रान्ति सूर्य हैं, शक्ति के प्रकाश पुंज हैं। •

हिमायती
4 / अप्रैल (द्वितीय), 2018 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 16-17 अप्रैल, 2018

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 14 अप्रैल, 2018

सम्पादकीय का शेष....दलित एकता को सलाम

रहना पड़ता था ओर पीढ़ी–दर–पीढ़ी यह अमानवीय शोषण, दुराचार, उत्पीड़न, दमन धर्म और 'मनुस्मृति' जैसी धार्मिक न्यायशास्त्रों के नाम पर चलता रहता था। अनपढ़, विवेकहीन शूद्रों (दलितों) को मूक पशुवत यह सब सहना पड़ता था। राजा ब्राह्मण को अपना सर्वोच्च गुरु मानता था, इसलिए ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त 'मनुस्मृति' के काले कानूनों व आदेशों को मानने के लिए वह बाध्य था। इसीलिए अछूत शूद्रों (दलितों) को वह भी ब्राह्मण गुरु के कथनानुसार पापयोनि और पूर्व जन्मों के पापों का भागीदार मानकर उनके साथ किये जा रहे अमानवीय, बर्बरता, दुराचार, दुरव्यवहार, अन्याय, अपमान को उचित मानकर उनके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं रखता था। उल्टे उस अछूत (दलित) द्वारा अनजाने में कोई छोटी सी गलती हो जाने पर राजा अपने ब्राह्मण गुरु से पूछता था कि बताइये इसे क्या दंड दिया जाये। वह ब्राह्मण गुरु 'मनुस्मृति' खोलकर बताता था कि इसमें इसके लिए यह दंड लिखा है। बस, राजा बिना सोचे विचारे उस दलित को वह दंड दिये जाने का आदेश दे देता था, भले ही वह निरपराध अछूत–शूद्र–दलित कितना भी चिल्लाते हुए गिड़गिड़ाता रहे। 'ब्राह्मणवाद' के इस खुले अत्याचार के खिलाफ भगवान बुद्ध ने मुहिम छेड़ी। बुद्ध ने अपने बौद्ध विहार सभी लोगों के लिए खोल दिये। इससे ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था और जातिवाद में शिथिलता आई और समाज के नीचे के लोगों को समानता के साथ जीने का अधिकार मिला। पर बौद्ध धर्म के पतन के बाद ब्राह्मणवाद का फिर उभार आया और राज–काज पर ब्राह्मणों का दखल बढ़ा। इससे वर्ण व्यवस्था और जातिवाद और कठोर हो गया। बौद्ध धर्म से लौटे लोगों को फिर से वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान पर अछूत–शूद्र (दलितों) को रखा गया और 'मनुस्मृति' की सामाजिक विषमताकारी काले कानूनों को उन पर थोप दिया गया। राजा भी वर्ण व्यवस्था की जननी 'मनुस्मृति' से बंधा था और वह 'मनुस्मृति' के दंड विधान को नकार कर ब्राह्मणों का कोप भाजक नहीं बनना चाहता था, इसलिए बौद्ध धर्म के पतन के बाद अछूत–शूद्रों पर बर्बरता, अन्याय और उत्पीड़न और तेजी से बढ़ा। उन्हें शिक्षा, दीक्षा, शस्त्र–शास्त्रों से प्रतिबन्धित कर दिया गया और गांवों के बाहर रहने को बाध्य किया गया।

संत शिरोमणि गुरु रविदास और सद्गुरु कबीरदास ने ब्राह्मणों के गढ़ काशी में बैठकर 'ब्राह्मणवाद' का खुला विरोध किया और वर्ण व्यवस्था और जात–पांत की खूब बखिया उखेड़ी। महाराज–महारानियां उनसे दीक्षा लेकर उनकी शिष्य बने। इससे उस जमाने में 'ब्राह्मणवाद' धराशायी होने लगा। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत आने पर ब्राह्मणों का कानून, रीति–रिवाज, कर्मकांड पर सीधा प्रहार हुआ और महात्मा जोतिबा फुले, स्वामी अछूतानन्द 'हरिहर', मुंशी हरि प्रसाद टम्टा के प्रयासों से स्कूल–पाठशालायें खोली गईं जहां अछूतों को पढ़ने की सहूलियत दी गई। अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्याय प्रणाली–थाने, कोर्ट, कचेहरी में दबंग सवर्णों के अन्यायों के विरुद्ध दलितों की सुनाई होने लगी। दलितों को अंग्रेजी सरकार और सेना में भरती किया जाने लगा। इससे ब्राह्मणवादी सवर्णों ने अंग्रेजों को भारत विरोधी कहना शुरू कर दिया। बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने लन्दन की राउन्डटेबल कान्फ्रेस में जाकर दलितों को सत्ता, शासन, प्रशासन, शिक्षण संस्थानों में उनकी आबादी के अनुसार इस भारतीय संविधान में बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने सभी नागरिकों को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बन्धुता के अधिकार देते हुए देश के अछूत–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए 'आरक्षण' के विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की, जिसके अनुसार निर्वाचन, शिक्षण संस्थानों, सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षित कोटे का प्रावधान रखा गया। यह अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी है।

देश को आजाद हुए 70 साल हो गये और भारतीय संविधान को लागू हुए 67 साल हो गये, पर अभी तक न तो सरकारी संस्थाओं की नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित कोटे को पूरा भरा गया है और न ही शिक्षण संस्थानों में उनके आरक्षित कोटे के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। यही नहीं, वर्तमान मोदी सरकार तो उन आरक्षित कोटे की सीटों के 'बैक लॉग' को भरने के स्थान पर खत्म करने में जुटी है।

देश की पंचवर्षीय योजनाओं में दलितों के उत्थान के लिए उनकी आबादी के अनुसार 'कम्पोनेन्ट प्लान' झज्झर, गोहाना, मिर्चपुर की घटनायें दलित विरोधी थीं जहां सवर्णों ने दलित युवकों को मारा–पीटा और उनके घर जलाये तथा उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। महाराष्ट्र के कोरेगांव में दलितों को अपने वीर पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में सवर्णों ने विघ्न डालकर आगजनी, तोड़फोड़, मारकाट की। बिहार के लक्ष्मणबाथे में तो सवर्णों ने दलितों का सामूहिक नरसंहार करके उनकी बस्तियों को जला डाला।

इन उपरोक्त कारणों से देश भर के दलित गुस्से व रोष में भरे बैठे थे। उस पर भाजपा की मोदी सरकार के कई मंत्री बारम्बार बाबा साहब डा. अम्बेडकर के बनाये भारतीय संविधान बदलने की बात करते और बाबा साहब डा. अम्बेडकर जी के नाम के साथ 'रामजी' जोड़ने के षड्यंत्र ने उनके गुस्से को और हवा दी। इसके बाद एस.सी./एस.टी. कानून जो उन्हें सवर्णों के उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय और भेदभाव से बचाता है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एक ही झटके में कमजोर करके दलितों को बर्बर, दुराचारी, वर्ण व्यवस्था के पुजारी दबंग लोगों के सामने अन्याय के खिलाफ

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

हिस्सेदारी देने के लिए निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था करने और चुनाव में 'वोट' का अधिकार दिये जाने की मांग की जिसे अंग्रेजी सरकार ने मानते हुए अछूतों (दलितों) को 'दो वोट' का अधिकार दिया। इसमें से एक वोट से वह अपना दलित प्रतिनिधि व दूसरे से सवर्ण प्रतिनिधि चुन सकते थे। महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा दलितों को दी गई यह सहूलितें मंजूर नहीं थीं। इसके विरोध में उन्होंने यरवदा जेल, पुणे में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी के प्राणों को बचाने के लिए बाबा साहब डा. अम्बेडकर को अंग्रेजों द्वारा दलितों के उत्थान के लिए दी गई सहूलियतों को छोड़कर इसकी एवज में 'पूना पैक्ट' करना पड़ा, जिसके तहत दलितों को निर्वाचन, शिक्षा संस्थान, सरकारी नौकरियों में उनकी आबादी के अनुसार 'आरक्षण' देना स्वीकार किया गया।

भारत के आजाद होने पर बाबा साहब डा. अम्बेडकर को देश का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया और देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने समय–सीमा में भारत का संविधान बनाकर 27 नवम्बर, 1949 को देश को सौंपा जिसे 26 जनवरी, 1950 को देश पर लागू किया गया। का प्रावधान बनाकर उनके मद में अलग से राशि बांटित की गई थी, वह 'कम्पोनेन्ट प्लान' की राशि जो अरबों–खरबों में है, दलितों के उत्थान, विकास, कल्याण पर अभी तक खर्च न करके उसे दूसरे मदों में खर्च किया जा रहा है।

देश में अंग्रेजी हुकूमत बदल गई। भारत में 1947 से अपने लोगों की भारतीय सरकार आ गई। ब्राह्मणवादी 'मनुस्मृति' की जगह बाबा साहब डा. अम्बेडकर द्वारा निर्मित 'भारतीय संविधान' आ गया, पर देश में अभी तक ब्राह्मणवादी–वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं हुई, और अब भी दलितों पर सवर्ण–उच्च जातियों के हमले होते रहते हैं। आज भी वे दलितों के दूल्हों को घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकलने देते, दलितों को अपनी तरह मूंछें नहीं रखने देते, वे उनकी तरह घोड़ी की सवारी नहीं कर सकते, उनके मकानों की ऊंचाई के पक्के मकान नहीं बना सकते, उन्हें सवर्ण मकान किराये पर नहीं देता, आज भी सवर्ण उन्हें रुपये लेकर भी घी–दूध नहीं देता, वह उनकी मां, बहू, बेटी की इज्जत से खुला खेलना चाहता है और विरोध करने पर उन्हें मारने, उनके घर जलाने, उनका बायकाट करने पर उतारू हो जाता है। ऊना, घुटने टेकने को छोड़ दिया। इसने देश के दलितों के अन्दर अन्याय के खिलाफ जल रही आग में घी का काम किया, और इस जोर–जुल्म की टक्कर में 'जय भीम' का नारा लगाते हुए अपने घरों से वे सड़कों पर निकल पड़े। दलितों के इस रोष भरे आन्दोलन में शोषित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक लोग भी सहानुभूति में मैदान में आ गये। सरकार और न्यायपालिका अब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि दलितों के हितों के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे आज भी उनके हितों के साथ खड़े हैं। पर अब दलित जाग गये हैं और हर जोर–जुल्म का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसी दलित एकता को सलाम। •

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/– और आजीवन 1000/– मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक : हिमायती

बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A–9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली–33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली–9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक – श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 Email-sumanakshar@ymail.com

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–110009